

## फर्द अहकाम

(नियम 26)

न अदालत : उपखण्ड अधिकारी

मुकाम : रावतभाटा

पुरेश

बनाम

अभिधारी तहसीलदार रावतभाटा

नमूना मुकदमा

वाद-पत्र

नं०

५४/२०२२ सन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इसमें जारी हुए
०१/२५	<p>पत्रावली पेश हुई। उक्त पक्षकारों उपस्थित। वकील वादी द्वारा वाक्य प्रस्तुत करने का अक्षर -पाठ। वादी को वाक्य के पत्रावली अक्षर दिए जा चुके हैं। एक डीके अक्षर की. 101/- की कॉश खाती पर अक्षर दिया जाता है। पत्रावली वाक्य वादी दिनांक 29/01/2025 को पेश है।</p>	
२९/०१ २०२५	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी तथा वकील वादी न्यायालय में अनुपस्थित। वादी तथा वकील वादी को न्यायालय द्वारा न्यायालय समय में तीन बार अलग-अलग समय पर आवाज लगावाई गई। वातबुद वादी तथा वकील वादी न्यायालय में अनुपस्थित। अतः न्यायालय में प्रकरण में वादी की ओर से पेशी हेतु उपस्थित नहीं होने से वाद-पत्र इसी स्तर पर अदम हाजिरी अदम पेशी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फौसल बुमार को दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर शामिल करते हैं।</p>	

उपखण्ड अधिकारी  
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

